अंक 21

"पाणा नी उतावरे
कपार नी फुड़ाय"

वातें
वाग्धारा नी

फरवरी, 2022

VAAGDHARA

मेरे प्यारे क्षेत्र के किसान भाइयों, बहनों, युवा नौजवानों, संगठन के साथियो, प्यारे बच्चों
!! जय गुरु !!

आप तक फरवरी माह की वातें पत्रिका का अंक पहुंचाते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आपके सहयोग से इस की नियमितता बनी हुई है और आशा करता हूं कि यह पत्रिका हमारे जीवन का अंग बनी होगी, हमारे चिंतन का साधन बनी होगी, हमारे कार्यों में मददगार हमारे कार्यों में सहायक बनती होगी, क्योंकि हर बार की पत्रिका में मेरा आपसे यह सदैव एक आग्रह रहता है कि क्या हम इस पत्रिका को पढ़ते हुए इसके संदेश को अपने स्वयं के कार्यों में उतार पाते हैं, क्या हम इस पत्रिका के संदेशों को हमारे संगठन के अंदर कार्य में ला पाते हैं, क्या हम इन संदेशों को हमारे गांव के विकास में सहायक मानते हैं, क्या हम इन संदेशों को अन्य परिवारों तक पहुंचा पाते हैं । यह सदैव हमारी इच्छा और जिज्ञासा रही है और मैं यह मानता हूं कि यह जरूर चर्चा आगे बढ़ती होगी, परंतु अगर हम इस ज्ञान या इस चर्चा को इन बातों को आगे तक नहीं पहुंचा पाते हैं, हम अपने परिवार में नहीं उतार पाते हैं तो यह सारे प्रयास निरर्थक है और निरर्थक क्यों है और चिंता के विषय क्यों है क्योंकि यह केवल मात्र वाग्धारा के किसी एक व्यक्ति का लिखा हुआ विषय नहीं है यह आप सब के अनुभव है, आपके किये हुए प्रयासों के अनुभव है, इसे दुनिया देखती है, इसे हम दुनिया का उदहारण बनाने के लिए प्रयास करते हैं । चूँकि वातें पत्रिका का विचार भी हमारे मन में इसीलिए आया था कि हम धीरे-धीरे प्रयास करके हमारे किए हुए कार्यों को सूचीबद्ध करते जाएं और समुदाय के अन्य साथियों तक पहुंचाए । इसमें कुछ हद तक हमे सफलता मिली भी है चूँकि समुदाय से किये हुए कार्यो को पुनः पत्रिका तक पहुँचाना या साथियो तक पहुँचाने की जिम्मेदारी भी पाठको की है, स्वराज मित्रो की है, सहजकर्ता की है, संगठन के साथियो की है ।

क्योंकी सफलताओं के प्रयोग सदैव दूसरी जगह और दूसरे क्षेत्रों में भी में पहुंचाने चाहिए जिससे कि उस परिवर्तन का सही लाभ व्यापक हो सके ।

मैं एक परिवर्तन की कहानी के साथ अपनी बात को लेकर आगे की ओर बढ़ूँगा । बात 20 साल पुरानी है हमारे बांसवाड़ा जिले में एक जिला कलेक्टर राजीव सिंह ठाकुर आये और हमारे यहाँ परंपरा थी कि हम होली पर गोट लिया करते थे सभी इकट्ठे हो करके गोट के लिए चंदा इकट्ठा करते थे और गोट मनाते थे, यह परंपरा तो बुरी नहीं थी परंतु वक्त के साथ वह परंपरा का त्यौहार का एक हिस्सा बन गई कि गोट के लिए रोड पर वाहनों को रोककर पैसे की मांग की जाती थी और यह दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी की लोग आधे आधे किलोमीटर की दुरी पर इसकी मांग करने लगे । जब किसी व्यक्ति ने जिला कलेक्टर राजीव ठाकुर का ध्यान इस और खिंचा तो उन्होंने स्वयं जाकर के इसकी जानकारी ली और उन्हें लगा की यह तो बहुत गलत प्रथा है। उन्होंने सारे सरपंचो को पत्र लिखे, पटवारी और ग्राम सेवकों को आदेश किए और इसके लिए पाबंद किया की अगर किसी भी क्षेत्र में इस तरीके की गोट की मांग की जा रही है या इस प्रकार की चंदे की मांग की जा रही है तो उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी और वह परीपाटी शुरू हुई और आज मैं स्वयं गोट देने के लिए तरसता हूं पर मुझे किसी रोड पर गोट लेने वाले या उस हेतु पैसों की मांग करने वाले नहीं मिलते हैं यह केवल मात्र एक व्यक्ति का एक प्रयास था जो कि वर्षो की परंपरा थी उस कुरीति को समाप्त कर दिया । कुरीति पैसों की मांग थी, रोड पर रोक करके मांगने की थी । कुरीति गोट नही थी, गोट हमारी परंपरा है और होनी भी चाहिए परंतु इसी प्रकार से अगर हम किसी प्रयास के लिए सोच ले तो कोई भी विषय असंभव नहीं है । मैं आज जल, जंगल, जमीन, जानवर, बीज, सच्चा बचपन या सच्चे लोकतंत्र की बात नहीं कर रहा वह आप सब अपने विषयों के साथ निरंतर कर रहे हैं, संगठन तक बात पंहुचा रहे है परिवारों तक उस परिस्थितियों को बदल रहे है, परंतु हां, मेरा यह आग्रह रहेगा की आने वाले माह में हम सभी इतनी सफलता की कहानियां ढूंढे की इस वाते पत्रिका को संकलित करने वाले के लिए समस्या हो जाये की सफलता की कहानी को किस स्थान पर रखें और यह चार पेज कम पड़ जाए इन्हें चालीस की आवश्यकता हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ...

आपका अपना
जयेश जोशी

इस माह में होने वाले कार्य

बांध एवं नालों में जल बहाव को रोकने के कार्य शुरू करें - ताकि बारिश होने पर पानी उपजाऊ मिट्टी को बाहर न ले जाए।

बरसात के मौसम की तैयारी करें। इलाके में सबसे निचले स्थानों की पहचान करें और बारिश होने पर पानी जमा करने के लिए खाइयां/ खड्डे खोदें।

अपने खेत में पानी जमा करने की तैयारी करें। यह महत्वपूर्ण सिंचाई एवं जल पुर्नभरण (वापस जमीन में इकट्ठा करना) में मदद करेगा।

जनजातीय जीवनशैली में कीट प्रबंधन

फसलों को कीटों, रोगों एवं खरपतवारों आदि से प्रतिवर्ष 7 से 25 % तक क्षति होती है, जिसमें 33 % खरपतवारों द्वारा, 26 प्रतिशत रोगों द्वारा, 20 प्रतिशत कीटों द्वारा, 7 प्रतिशत भण्डारण, 6 प्रतिशत चूहों द्वारा तथा 8 प्रतिशत अन्य कारण सम्मिलित हैं। यह क्षति दलहन में 7 प्रतिशत, ज्वार में 10 प्रतिशत गेहूँ में 11.4 प्रतिशत, गन्ना में 15 प्रतिशत, धान में 18.6 प्रतिशत, कपास में 22 प्रतिशत तथा तिलहन में 25 प्रतिशत तक होती है। फसलों, फलों एवं सब्जियों पर इनके प्रकोप को कम करने के उद्देश्य से कृषकों द्वारा कृषि रसायनों का प्रयोग किया जा रहा है।

कीटनाशकों की औसत खपत 279.60 ग्राम प्रति हेक्टर हैं, जो देश के औसत खपत 288 ग्राम प्रति हेक्टर से कम है। इस औसत खपत में 58.7 प्रतिशत कीटनाशक, 22.0 प्रति फफूंद नाशक, 16.0 प्रतिशत रोगनाशक तथा 3.3 प्रतिशत चूहा विनाशक/धूम्रक सम्मिलित है। इन रसायनों का प्रयोग करने से जहाँ कीटों, रोगों एवं खरपतवारों में सहनशक्ति पैदा होती है और कीटों के प्राकृतिक शत्रु (मित्र कीट) प्रभावित होते हैं, वहीं कीटनाशकों का अवशेष खाद्य पदार्थों, मिट्टी, पानी, एवं वायु को प्रदूषित करने लगते हैं। कीटनाशक रसायनों के हानिकारक प्रभावों से बचने के लिए जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करना नितान्त आवश्यक है। जैविक एजेन्ट तथा जैविक पेस्टीसाइड जीवों एवं कीटों, फंफूदों, जीवाणुओं एवं वनस्पतियों पर आधारित उत्पाद हैं, जो फसलों, सब्जियों एवं फलों को कीटों एवं व्याधियों से सुरक्षित कर उत्पादन बढ़ाने में सहयोग करते हैं। ये जैविक एजेण्ट/ जैविक कीटनाशक 20-30 दिनों के अंदर भूमि एवं जल से मिलकर जैविक क्रिया का अंग बन जाते है तथा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को कोई भी हानि नहीं पहुंचाते हैं।

नीम एक प्राकृतिक पेस्टीसाइड है, जिसमें एजाडिरेक्टिन एवं सैलानिन तत्व पाये जाते हैं जो फसलों को कीड़ो द्वारा खाने से बचाता है तथा फसलों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसका तेल, खली एवं पत्तियों, पौध संरक्षण एवं कीट नियंत्रण में प्रयोग की जाती है।

जैविक कीटनाशकों से लाभः जीवों एवं वनस्पतियों पर आधारित उत्पाद होने के कारण, जैविक कीटनाशक लगभग एक माह में भूमि में मिलकर अपघटित हो जाते है तथा इनका कोई अंश अवशेष नहीं रहता। यही कारण है कि इन्हें पारिस्थितकीय मित्र के रूप में जाना जाता है।

1. जैविक कीटनाशक केवल लक्षित कीटों एवं बीमारियों को मारते है, जब कि रासायनिक कीटनाशकों से मित्र कीट भी नष्ट हो जाते हैं।
2. जैविक कीटनाशकों के प्रयोग से कीटों/व्याधियों में सहनशीलता एवं प्रतिरोध नहीं उत्पन्न होता जबकि अनेक रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग से कीटों में प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न होती जा रही है, जिनके कारण उनका प्रयोग अनुपयोगी होता जा रहा है।
3. जैविक कीटनाशकों के प्रयोग से कीटों के जैविक स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता जब कि रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग से ऐसे लक्षण परिलक्षित हुए हैं। सफेद मक्खी अब अनेक फसलो तथा चने का फली छेदक अब कई अन्य फसलों को भी नुकसान पहुंचाने लगा है।
4. जैविक कीटनाशकों के प्रयोग के तुरन्त बाद फलियों, फलों, सब्जियों की कटाई कर प्रयोग में लाया जा सकता है, जबकि रासायनिक कीटनाशकों के अवशिष्ट प्रभाव को कम करने के लिए कुछ दिनों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है।
5. जैविक कीटनाशकों के सुरक्षित, हानिरहित तथा पारिस्थितकीय मित्र होने के कारण विश्व में इनके प्रयोग से उत्पादित चाय, कपास, फल, सब्जियों, तम्बाकू तथा खाद्यान्नों, दलहन एवं तिलहन की मांग एवं मूल्यों में वृद्धि हो रही है, जिसका परिणाम यह है कि कृषकों को उनके उत्पादों का अधिक मूल्य मिल रहा है। ट्राइकोडर्मा, जैविक कीटनाशकों के विषहीन एवं हानिरहित होने के कारण ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में इनके प्रयोग से आत्महत्या की सम्भावना शून्य हो गयी है, जबकि कीटनाशी रसायनों से अनेक आत्म हत्याएं हो रही है। जैविक कीटनाशक पर्यावरण, मनुष्य एवं पशुओं के लिए सुरक्षित तथा हानिरहित हैं। इनके प्रयोग से जैविक खेती को बढ़ावा मिलता है जो पर्यावरण एवं परिस्थितकीय का संतुलन बनाये रखने में सहायक हैं।

नीम का तेल एवं गूदा के तत्वो पर आधारित तरल वानस्पतिक कीटनाशक है। इसकी गंध एवं स्वाद कीड़ों को भगाती है, खाने की अनिच्छा उत्पन्न करती है एवं जीवन चक्र को धीमा एवं प्रजननशीलता को कमजोर बनाकर अंडे तथा बच्चों की संख्या में कमी लाती है।

नीम का तेल कपास, चना, धान, अरहर, तिलहन तथा टमाटर में नुकसान पहुंचाने वाले गोलवर्म, तेलाचेंपा (माहूँ), सफेद मक्खियां भृंग, फुदका, कटुआ सूंडी तथा फल बेधक सूंडी पर प्रभावशाली है। खड़ी फसल में कीट नियंत्रण हेतु एजाडिरेक्टिन (नीम का तेल) 0.15 प्रतिशत ई.सी. की 2.5 ली. मात्रा प्रति हे.की दर से 15 दिन के अन्तराल पर सायंकाल छिडकाव करना चाहिये। इसकी सेल्फ लाइफ एक वर्ष है।

सुखा जीवामृत बनाने की विधि एव उसका उपयोग

सामग्री 100 किग्रा देशी गाय का गोबर,
10 लीटर गो मूत्र,
1 की.ग्रा. गुड,
1 की.ग्रा. बड के पेड़ के निचे की मिटटी या खेत के पाली की मिटटी जिसमें दवाई स्प्रे नही की हो
1 की.ग्रा. दलहनी आटा

प्रकिया - सभी मिश्रण को बराबर मिक्स करके 2 दिन तक छाया में ढक कर रख दे बाद में उसे मिश्रण को छाया में सुखाने हेतु कंडे की तरह बनाकर छाया में सुखने दे बाद में उसका बारीक़ मिश्रण कर के छान ले

उपयोग - उपरोक्त 100 की.ग्रा. मिश्रण के साथ 100 की.ग्रा. वर्मी कम्पोस्ट डालकर 1 एकड में नमी वाली जगह पर छिडकाव कर ले

जीवामृत

सामग्री 10 की.ग्रा. देशी गाय का गोबर
5 लीटर गाय का गो मूत्र
250 ग्राम गुड
100 लिटर पानी

प्रकिया सभी मिश्रण को दिन में 3 बार बराबर दाई और बाई तरफ घुमाना है इस तरह 4 दिन तक इस मिश्रण को घुमाना है

उपयोग

तैयार किये हुए 10 लिटर मिश्रण में 100 लिटर पानी सिंचाई के साथ (अंगुली की धार जैसा) पानी के साथ दे सकते है या इसका छिड़काव भी कर सकते है हर 15 दिन में यूरिया खाद डालने की आवश्कता नही है

इसके के आलावा आप वर्मी कम्पोस्ट ,कम्पोस्ट पिट जैसे खाद बनाकर अपने खेत में उपयोग करने चाहिए ताकि अपने खेत में मिटटी की ताकत बड़े एवं उत्पादन में वृद्धी हो सके

दशपर्णी

1)नीम की पत्ती 5 की. ग्रा.
2)धतुरा, आकड़ा , थोर ,बेशर्म ,इन्दुरी,अरंडू,करंज ,अरंड ,पपीता 18 की. ग्रा.
(हर प्रजाति के पोधे की 2 की.ग्रा.पत्ती)
3) हरी मिर्ची का पेस्ट 2 की.ग्रा.
4)लहसुन का पेस्ट 250 ग्राम
गया का गोबर 3 की.ग्रा.
गाय का गौ मूत्र 5 लिटर

उपरोक्त 10 प्रजाति की पत्ती को बराबर बारीक़ कर दो फिर सभी मिश्रण को बराबर मिक्स करदो उस मिश्रण को 100 लिटर पानी में डाल दो उसे 7 से 8 दिन तक फ़रमटेंशन के लिए रख दो इस मिश्रण को दिन में 3 बार और 8 दिन तक हिलाना है ।

उपयोग

1)15 लिटर के प्रति पम्प में 1.5 लिटर दशपर्णी दवाई ले कर उपयोग कर सकते है ।
2)यह मिश्रण से 50 पम्प 1 एकड़ के लिए उपयुक्त है इस दवा से फसल में रस चुसक कीड़े एवं इल्ली प्रकोप में कमी आती हैं।

(दशपर्णी दवाई में पुरे 10 प्रजति के पत्ति का होना जरुरी नही है । 10 में से 5-6-7 जितनी भी उपलब्ध हो उसका हो उसका दशपर्णी दवाई ही बोलते है और उसका इतना ही लाभ होता है)

नीम आधारित दवाई

1 नीम के पत्ते
2 पुराना मटका, ड्रम या कोई भी चीज जिसमे 15 से 20 लीटर पानी आ सके
3 गौ मूत्र

बनाने की विधि 5 की ग्रा नीम की पत्ती को 2 लीटर गौ मूत्र के साथ मिलाकर 15 लीटर पानी में डालकर 7 दिन तक फ़रमटेंशनशन के लिए छोड़ दो उसको रोज दिन में 3 बार हिलाना है , 7 दिन में दवाई तैयार हो जाएगी ।

उपयोग

15 लीटर के 1 पम्प में 1.5 लीटर दवाई का उपयोग करना है और ये दवाई मोला एवं रस चुसक कीड़े के लिए काफी उपयोग

फंगी साइड - फफूंदी नाशक दवा

1.100 लीटर पानी में में 3 लीटर खट्टी छाछ मिलाये और स्प्रे करे यह कवक नाशक है ,संजीवक है और विषाणु रोधक है।

सच्चा बचपन – बच्चों को सुरक्षा देते बाल अधिकार

प्रिय पाठकों सभी को जय गुरु !

पिछले अंक में हमने पढ़ा था की किस प्रकार कोरोना महामारी ने बच्चों की शिक्षा पर असर डाला है और बच्चों की शिक्षा को लेकर उनको बेहतर माहौल देने में प्रत्येक स्तर की क्या क्या भूमिका है जिसमें बच्चे स्वयं को सहज महसूस करे । इस माह के अंक में हम बात करेंगे की किस प्रकार बाल अधिकार बच्चों को सुरक्षा प्रदान करते है और इसमें लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की क्या भूमिका है ।

पृष्ठभूमिः

वर्तमान समय में बच्चों के अधिकारों की बात तो सभी करते हैं।लेकिन ये अधिकार क्या हैं, कौन कौन से हैं और इन अधिकारों के तहत बच्चों की सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाता इसके बारे में पूरी तरह से जानना भी जरूरी हो जाता है । क्योंकि बाल अधिकारों के बारे में विस्तार पूर्वक समझ बनाने वाली बातचीत करने के मौके कम ही मिल पाते हैं । इस बार हम कोशिश करते हैं इस तरह से समझ बनाने की कि बच्चों के वो कौन कौन से अधिकार हैं जिन्हें देकर हम बच्चों के जीवन को संवार सकते हैं।

बच्चों के अधिकारों से संबंधित घोषणा पत्र अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों के कानून के 54 अनुच्छेदों में बच्चों को पहली बार आर्थिक,सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार एक साथ दिए गए हैं। भारत ने भी इस घोषणा का 11 दिसंबर 1992 को समर्थन कर दिया था। इन 54 अनुच्छेदों में बच्चों को 41 विशिष्ट अधिकार दिये गये हैं। बच्चे की परिभाषा, कोई भेदभाव नहीं, बाल हितों की रक्षा, अधिकारों को लागू करना, मां बाप की जिम्मेदारियों का मार्गदर्शन, जिंदा रहना व विकसित होना, नाम और राष्ट्रीयता,पहचान का संरक्षण, मां बाप के साथ रहना, पारिवारिक एकता, अपहरण से बचाव, बच्चों के विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वैचारिक एवं धार्मिक स्वतंत्रता, मिलने जुलने की स्वतंत्रता, गोपनीयता की रक्षा, सूचनाओं के उचित साधन, मां बाप की जिम्मेदारी, लापरवाही व दुर्व्यवहार से रक्षा, अनाथ बच्चों की रक्षा,बच्चों का गोद लेना, शरणार्थी बच्चों की देखभाल, विकलांग बच्चों के लिए उचित व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवायें, स्थानान्तरित बच्चों की नियमित देखभाल, सामाजिक सुरक्षा, अच्छा जीवन स्तर, शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा सम्पूर्ण विकास के लिये, अल्पसंख्यक आदिवासी बच्चों की संस्कृति, क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक गतिविधियां, बाल श्रमिकों की सुरक्षा, नशीले पदार्थों से बचाव, यौन शोषण से बचाव, बेचने भगाये जाने पर रोक, अन्य शोषणों से बचाव, यातना व दासता पर रोक, सेना में भर्ती पर रोक, पुनर्वास व देखरेख और किशोर न्याय का प्रबंध उच्चतर स्तर लागू।

इन 41 बाल अधिकारों में से 16 अधिकार भारतीय बच्चों के संदर्भ में ज्यादा जरूरी हैं। इन्हें हर भारतीय को जानना भी चाहिये।

जीवन और विकास को निश्चित करना,कोई भेद भाव नहीं, मां बाप की जिम्मेदारी, स्वास्थ्य सेवायें, अच्छा जीवन स्तर, नशीले पदार्थों से बचाव, शिक्षा की व्यवस्था, क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक गतिविधियां, दुर्व्यवहार से रक्षा,अनाथ बच्चों की रक्षा, बाल श्रमिकों की सुरक्षा, बेचने, भगाने पर रोक, यौन शोषण से बचाव, यातना ,दासता पर रोक, किशोर न्याय का प्रबंध आदि-इत्यादि ।

बाल विकास एवं बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु कानून में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं जिसके अंतर्गत बच्चों को चार विशेष अधिकार प्राप्त हैं ।

सुरक्षा का अधिकारः

मांग करता है कि बच्चे हर तरह की उपेक्षा, क्रूरता और शोषण से सुरक्षित रहे। बच्चे के लिए विशेष देखरेख, दांडिक न्याय प्रणाली में बच्चों के उत्पीड़न, बाल मजदूरी, ड्रग उत्पीड़न, एवं शोषण के खिलाफ सुरक्षा हो । इतना ही नहीं किसी भी तरह की यौन हिंसा, शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा या घरेलू हिंसा से बच्चे को दूर रखते हुए विकास के सभी अवसर मिल सके ।

वर्तमान समय में बच्चों के साथ यौन हिंसा होना आम बात है ज़रूरत है तो इसे पहचानने की और पहचानकर इस हिंसा की रोकथाम के लिए क़ानून की मदद लेते हुए कैसे इसे रोका जा सकता है इसे समझने की कोशिश करते हैं ।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012

देश में बच्चों के साथ बढ़ते हुए यौन/लैंगिक अपराध की रोकथाम और क़ानून से मिली सुरक्षा को मजबूती देने के लिए भारत सरकार ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने के लिए पोक्सो (POCSO) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 बनाया गया । इस अधिनियम (कानून) को महिला और बाल विकास मंत्रालय ने साल 2012 पोक्सो एक्ट-2012 के नाम से बनाया था। 14 नवम्बर 2012 को पूरे देश में प्रभावी हुआ । इस कानून के जरिए नाबालिग बच्चों (18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे) के प्रति यौन उत्पीड़न, यौन शोषण/अश्लीलता और पोर्नोग्राफी जैसे यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है। इस कानून के अंतर्गत अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा निर्धारित की गई है और इस कानून की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लिंग समानता के साथ है यानि पीड़ित बच्चा लड़का हो या लडकी क़ानून दोनों के लिए समान है और इस क़ानून में दंड काफी कठोरता के साथ है ।

तथ्यों पर एक नज़र. .....

विशेषज्ञों के आंकलन के अनुसार प्रत्येक 10 में से 1 बच्चा अपने 18 वें जन्म दिवस से पहले यौन हिंसा का शिकार हो जाता है । मतलब कि कक्षा कक्ष या इनके पड़ौस, जहाँ पर असंख्य लोगों के होते हुए भी चुपके से घटना अंजाम ले लेती है ।

11 वर्ष या इससे कम उम्र के 35% बच्चे शिकार होते हैं ।

10 से 17 वर्ष की उम्र में 9% बच्चों को इंटरनेट से यौन छेड़छाड़ का सामना करना पड़ता है ।

30% बच्चे परिवार के किसी सदस्य के द्वारा शिकार बनते हैं ।

60% बच्चे परिवार के भरोसे मंद सदस्य के द्वारा गाली गलोच और अपशब्द के शिकार होते हैं ।

40% बच्चे अपनी उम्र से बड़ी उम्र के बच्चों के द्वारा गाली गलोच और अपशब्द के शिकार होते हैं ।

75% बच्चे कामोद्दीपक चित्र/साहित्य (Pornography) के शिकार होते हैं ।

क्या होता है पॉक्सो एक्ट....

एक्ट के तहत नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है ।

अगर किसी पर पॉक्सो एक्ट लगता है तो तुरंत गिरफ्तारी होती है ।

इस एक्ट के तहत धरे गए आरोपी को जमानत भी नहीं मिलती है ।

इस एक्ट में पीड़ित बच्ची अथवा बच्चे की सुरक्षा के भी प्रावधान हैं ।

गंभीर अपराधों के बारे में समझें तो वे इस प्रकार हैं-

बच्चे की यौनि, मुँह,मुत्रमार्ग या गुदा में अपना लिंग अथवा कोई वस्तु या शरीर का अंग जो लिंग नहीं है,प्रवेशित करता है या बच्चे को अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कराता है

बच्चे के संरक्षण एवं देखभाल के ज़िम्मेदार व्यक्ति परिवार के किसी सदस्य (पिता, चाचा,मामा आदि) पुलिस अधिकारी, सीमा सुरक्षा बल, डॉक्टर, शिक्षक, लोक सेवक, राजकीय कर्मचारी, बाल गृह, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान कार्मिक द्वारा बच्चे पर प्रवेशन लैंगिक हमला करना ।

बच्चे के साथ सामूहिक लैंगिक प्रवेशन हमला करना ।

विकलांग बच्चे या 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे पर प्रवेशन लैंगिक हमला करना या बच्चे पर एक से अधिक बार लैंगिक प्रवेशन हमला करना ।

बच्चे पर प्रवेशन लैंगिक हमला करने के पश्चात बच्चे को सार्वजानिक रूप से नंगा करना आदि ।

यदि कोई व्यक्ति लैंगिक आशय से बच्चे की योनि,लिंग,गुदा या स्तन को छूता है या स्वयं या किसी अन्य की योनि, लिंग,गुदा या स्तन को बच्चे से छुआता है ।

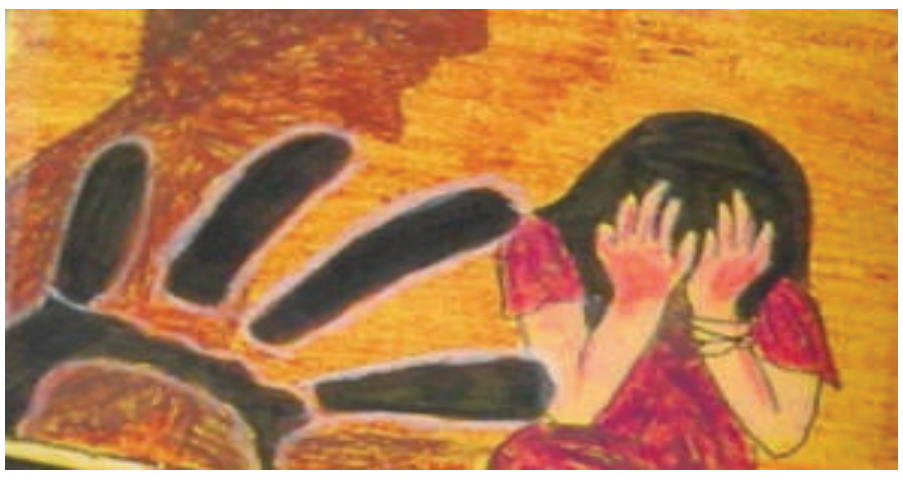

लैंगिक आशय से अन्य कोई ऐसा कार्य करता है जिसमे प्रवेशन किये बिना ही शारीरिक सम्पर्क होता है ।

कोई शब्द/आवाज़/संकेत करना या कोई ऐसी वस्तु या शरीर का अंग प्रदर्शित करना ।

बच्चे को उसका शरीर या उसके शरीर के किसी अंग को दिखाने हेतु कहना ।

किसी भी उद्देश्य से बच्चे कोई अश्लील लेखन वस्तु या अश्लील वीडियो/फिल्म दिखाना ।

सीधे या इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल या अन्य माध्यम से बच्चे का बार-बार या लगातार पीछा करता है या देखना या संपर्क करना ।

किसी बच्चे की जननेन्द्रियों का प्रदर्शन ।

किसी बालक का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों में करना ।

किसी बालक का अशोभनीय या अश्लीलतापूर्ण प्रदर्शन शामिल है ।

इस अधिनियम में बच्चों को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है और इस कानून की विशेषताओं को इस प्रकार से समझा जा सकता हैः

यह अधिनियम लिंग तटस्थ है, इसका अर्थ यह है कि अपराध और अपराधियों के शिकार पुरुष, महिला या तीसरे लिंग हो सकते हैं।

यह एक नाबालिग के साथ सभी यौन गतिविधि को अपराध बनाकर यौन सहमति की उम्र को 16 साल से 18 साल तक बढ़ा देता है।

अधिनियम में यह भी बताया गया है कि यौन शोषण में शारीरिक संपर्क शामिल हो सकता है या शामिल नहीं भी हो सकता है ।

अधिनियम बच्चे के बयान को दर्ज करते समय और विशेष अदालत द्वारा बच्चे के बयान के दौरान जांच एजेंसी द्वारा विशेष प्रक्रियाओं का पालन करता है।

सभी के लिए अधिनियम के तहत यौन अपराध के बारे में पुलिस को रिपोर्ट करना अनिवार्य है, और कानून में गैर-रिपोर्टिंग के लिए दंड का प्रावधान शामिल किया गया है।

इस अधिनियम में यह सुनिश्चित करने के प्रावधान हैं कि एक बच्चे की पहचान जिसके खिलाफ यौन अपराध किया जाता है, मीडिया द्वारा खुलासा नहीं किया जायेगा ।

बच्चों को पूर्व-परीक्षण चरण और परीक्षण चरण के दौरान अनुवादकों, दुभाषियों, विशेष शिक्षकों, विशेषज्ञों, समर्थन व्यक्तियों और गैर-सरकारी संगठनों के रूप में अन्य विशेष सहायता प्रदान की जानी है।

बच्चे अपनी पसंद या मुफ्त कानूनी सहायता के वकील द्वारा कानूनी प्रतिनिधित्व के हकदार हैं।

इस अधिनियम में पुनर्वास उपाय भी शामिल हैं, जैसे कि बच्चे के लिए मुआवजे और बाल कल्याण समिति की भागीदारी शामिल है ।

बच्चों को सुरक्षा देने के लिए विभिन्न स्तरों की भूमिका :

परिवार की भूमिकाः

बच्चों के साथ लम्बी बातचीत करे, बच्चों की कही बातों पर भरोसा करें और बच्चों को बोलने के लिए प्रोत्सहित करे ।

कई बार बच्चों की बातों को अनसुना कर दिया जाता है या महत्व नहीं दिया जाता जो कि गलत है ।

किसी के भी साथ बच्चे को रुकने के लिए बाध्य ना करें अगर बच्चा किसी रिश्तेदार के साथ भी रुकने के लिए मना करे तो परिवार द्वारा बच्चे की इस बात का सम्मान किया जाना चाहिए ।

परिवार को यह बात अच्छे से समझे जाने की ज़रूरत है कि बच्चा कहीं भी सुरक्षित नहीं है वर्तमान में आंकड़े यह कहते हैं कि परिवार, जानकार और रिश्तेदार के साथ बच्चा सबसे ज्यादा असुरक्षित होता है और सबसे ज्यादा हिंसा भी बच्चों के साथ परिवार और रिश्तेदारों के बीच होती है ।

आमतौर पर परिवार के लोग बच्चों (खासकर लड़कियों)को इसलिए घर से बाहर निकलने में पाबंदी लगाते हैं कि वे बाहर सुरक्षित नहीं हैं जबकि घरों में भी बच्चे असुरक्षि होते हैं अतः बच्चों के साथ बातचीत करते हुए बच्चों के आत्म विश्वास को बढ़ने के लिए काम किये जाने की जरूरत होती है ताकि बच्चे बिना किसी भय और झिझक के बाहरी दुनिया में भी निकल सके । परिवार की यह ज़िम्मेदारी है कि यौन हिंसा क्या है, कैसे होती है इसके बारे में बच्चों के साथ विस्तार से बातचीत करें और यह भी बात करें कि इस तरह की चीजें होने पर डरें नहीं ।

परिवार को यह भी समझने की ज़रूरत है कि यौन हिंसा सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं वरन लड़के भी इसके शिकार होते हैं ।

अगर किसी बच्चे के साथ इस तरह की कोई घटना हो गयी है तो बिना डरे, बिना छुपाये उचित कार्यवाही करते हुए तुरंत पुलिस और कानून की मदद लेना तय करें ।

समुदाय की भूमिकाः

समुदाय की विशेष ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर आस-पास में किसी भी बच्चे के साथ हुई यौन हिंसा के बारे में पता चलता है तो बच्चे के साथ सहानुभूति दिखाते हुए उसे न्याय दिलाने के लिए काम करे ।

बच्चे के परिवार के साथ जुड़कर हर संभव मदद करने का प्रयास करे ।

समुदाय में बच्चों के साथ प्यार और संवेदनशील तरीके से पेश आये और अगर कहीं भी किसी भी बच्चे के साथ गलत होते दिखाई दे तो उसे रोकने के लिए काम करे ।

आस-पास के किसी भी परिवार में अगर किसी भी बच्चे के साथ गलत व्यवहार होते हुए देखे तो उसे रोकने के लिए काम करे । बातचीत करे और समस्या का समाधान पता लगाने में मदद करे ।

बच्चे की भावनाओं का खास ख्याल रखे जाने की ज़रूरत है ।

सरकार की भूमिका :

अधिनियम ठीक से लागू हो सके और जागरूकता और त्वरित गति के साथ बच्चों के लिए काम कर सके और बच्चे को न्याय मिल सके इस हेतु सरकार की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है किः

कानून का प्रचार और प्रसार करने के लिए गाँवों और शहरों में अभियान चलाये ।

गाँव, शहर, पंचायत, वार्ड, विद्यालय/शैक्षणिक स्थल हर स्तर पर बाल संरक्षण समितियाँ बनाना, इन समितियों को बाल केन्द्रित और बच्चों के अनुकूल स्थितियों के लिए लोगों को संवेदनशील बनाने हेतु काम करे और सभी बाल संरक्षण समितियों को सक्रिय कार्य करने के लिए पाबंद करें ।

बाल संरक्षण समितियों द्वारा दी गयी रिपोर्ट के आधार पर किसी भी शिकायत पर तुरंत कार्यवाही करे ।

सरकारी स्तर पर सभी विभागों और विभागों के लोगों को बाल केन्द्रित रूप से जागरूक और संवेदनशील बनाए जाने के लिए काम करें ।

इस तरह से देखा जाए तो बच्चों के साथ यौन हिंसा को लेकर जो भी स्थितियाँ वर्तमान परिदृश्य में बनती हैं उन्हें ठीक से समझकर व्यवहार किया जाए तो इससे आसानी से निपटा जा सकता है ।

कार्यवाही का हुआ असर, समस्याओं का हुआ समाधान

बांसवाड़ा जिले के मात्र 9 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत सुन्दनपुर के गांव शिवपुरा में जब चाइल्ड लाइन 1098 के द्वारा सर्वे किया गया तो अनेक समस्या निकलकर सामने आई | जिस पर चाइल्ड लाइन के जिला समन्वयक परमेश पाटीदार के द्वारा बताया गया कि उक्त समस्याओं को लेकर इनके द्वारा श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जी को पत्र के माध्यम से अवगत करवाया गया था, कार्यवाही का असर यह हुआ कि गांव में समस्याओ का निस्तारण करते हुए योग्य बालिका को विद्यालय में नामांकित किया गया, साथ ही आंगनवाड़ी समय पर नहीं खुलने की शिकायत जो वर्षों से की जा रही थी उसका भी निराकरण किया गया| इसी के साथ 7 ग्राम पंचायत की बैठक आयोजित की गई जिसमें प्रधानाचार्य सुन्दनपुर के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था | पूर्व में एवं इस बार भी समस्त आंगनबाड़ियों के कार्मिकों को, समस्त जनप्रतिनिधि एवं तीन स्कूल प्रशासन की मौजूदगी में अवगत करवाया गया है कि आज के बाद आंगनवाड़ी के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, साथ ही साथ विद्यालय में योग्य बालक बालिकाओं के अक्षर ज्ञान की कमी की जानकारी मिली | उसके बाद से यह हुआ कि अब विद्यालय समय पर खुलेगा एवं समस्त बालक बालिकाओं को किसी भी योजनाओं से वंचित नहीं रखा जाएगा जिस पर सहमति बनी | साथ ही जब भी आंगनवाड़ी का पोषाहार वितरित किया जाएगा तब स्थानीय

विद्यालय के शिक्षक एवं गांव के दो जनप्रतिनिधि एवं लाभार्थी के हस्ताक्षर कर दिये जाएगे एवं जिसकी सूचना भी समय पर विद्यालय प्रशासन एवं समस्त अधिकारियों को दी जाएगी | गांव में चार नाबालिग बालक बालिका थे जिनका विकलांग प्रमाण पत्र नहीं बना था जिस पर दो के प्रमाण पत्र हाल ही में चाइल्ड लाइन के द्वारा महात्मा गांधी चिकित्सालय के सहयोग से जारी किए गए एवं चाइल्ड लाइन टीम के 5 सदस्यों की टीम गठित की गई थी जिसमें नरेश चंद्र पाटीदार, बासूड़ा कटारा, कांतिलाल यादव एवं कमलेश बुनकर इत्यादि के द्वारा विगत 6 से 7 दिनों में गांव में घर-घर जाकर सर्वे की गई और विद्यालय के प्रधानाचार्य के द्वारा भी एक टीम गठित की गई थी जिसमें निकलकर यह आया की समस्याओं का निराकरण किया गया है एवं जो अब समस्या रही है, 5 नाबालिग बालक बालिकाओं के प्रमाण पत्र की जो आंखों से दिव्यांग हैं उनके लिए चाइल्डलाइन लाइन ने महात्मा गांधी चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को पत्र के माध्यम से अवगत करवाया एवं संबंधित परिजनों को बताया गया कि इन समस्त बालक बालिकाओं के विकलांग प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर दिए गए हैं उसके पश्चात टीम में प्रवीण यादव कार्यवाहक प्रधानाचार्य के द्वारा बताया गया कि सूचना के पश्चात हमारी टीम गांव में 2 दिन से लगातार संपर्क में थी और जो समस्याएं थी उनका निराकरण किया गया है |

रेडियो मित्र बने महत्वपूर्ण धुरी ,रेडियो और समाज के बीच

पिछले माह वागड़ रेडियो द्वारा रेडियो मित्रों की दो दिवसीय क्षमतावर्धन कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें श्री मान रणजीत यादव जी के द्वारा यह बताया गया कि समुदाय में रेडियो की जरूरत क्यों हैऔर हमारे दैनिक जीवन में रेडियो का क्या महत्व है साथ ही ऑल इंडिया रेडियो से पधारे वरिष्ठ उद्घोषक श्रीमान प्रमोद कुमार शर्मा जी के द्वारा रेडियो के बारे में जानकारी दी गई कि रेडियो एक गुरु है जहां हमें शिक्षा, सूचना आदि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है साथ ही जो हमारे रेडियो मित्र हैं उन में क्या-क्या गुण होने चाहिए यह भी बताया रेडियो मित्र में प्रज्ञा, बुद्धि, विवेक, सहनशीलता और भाषा के प्रति अनुराग होना चाहिए और जब हमारे रेडियो मित्र किसी भी गाँवमे जाकर समुदाय के साथ किसी विषय को लेकर बात करते हैं तो पहले उसकी पूरी जानकारी उनको होनी चाहिएताकि वे उनकी बात को समझ सके एवं उसको रेडियो के माध्यम से सुमुदाय तक पहुंचा सके और आप जब समुदाय के साथ बात करे तो अपनी भाषा व शब्दों का चयन सोच समझ कर करे जिससे आपकी बात को वे अच्छी तरह से समझ सके व उसका सही जवाब दे सके ।इस दो दिवसीय कार्यशाला में रेडियो मित्रों द्वारा समुदाय की समस्याओं को जाना और सामुदायिक तौर पर इन समस्याओं को कैसे निपटा जाए इस बारे में चर्चा रही ।

इसके साथ वागड़ रेडियो 90.8 एफ.एम. पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर गांधी जी के जीवन से जुड़े गांधी आत्मदर्शन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है जिसे आप सभी हर रविवार प्रातः 8:30 बजे एवं पुनः प्रसारण सायं 7:30बजे सुन सकते हैं।

और अलग-अलग कार्यक्रमों के माध्यम से कोविड-19 की तीसरी लहर,किशोरी बालिकाओं मे जागरूकता,बालिका शिक्षा और लिंग भेद को लेकर कई कार्यक्रम प्रसारित किए गए, जिसमें विषय विशेषज्ञों व समुदाय को जोड़ा गया और विशेषज्ञों द्वारा समुदाय को जागरूक किया गया ।

स्वराज संगठनों का प्रयास नशा मुक्त समाज

संघर्ष को मानव जीवन का दूसरा नाम कहा जाता है। इसी संघर्ष से व्यक्ति कुंदन की तरह शुद्ध और पवित्र बन जाता है जिन लोगों का ह्रदय कमजोर होता है या जिनका निश्चय सुदृढ़ नहीं होता है वे संघर्ष के आगे घुटने टेक देते हैं। वे अपनी सफलता से बचने के लिए नशे को सहारा बना लेते हैं । अक्सर लोग कहते है कि हम गम को भुलाने के लिए नशा करते हैं । इसी से हमारे मन को शांति मिलती है । नशा करने से दुखों और कष्टों से मुक्ति मिलती है लेकिन क्या सचमुच नशा करने से व्यक्ति दुखों से मुक्त हो जाता है ? अगर ऐसा होता तो पूरे विश्व में कोई भी दुखी और चिंताग्रस्त नहीं रहता । राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने हमेशा नशे की लत की गंभीरता को लेकर लोगो को जागरूक करने का प्रयास किया है । इसी के चलते उनके जन्मदिवस के अवसर पर लोगो को नशे की गम्भीरता के बारे में जागरूक कर व इस आदत से दूर रहने के लिए प्रति वर्ष 2 अक्टूम्बर को राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है ।

विगत डेढ़ दशक से वाग्धारा संस्था द्वारा तीन राज्यों राजस्थान,गुजरात व मध्यप्रदेश के 1000 गांवों में एक लाख परिवारों के साथ में कार्य किया जा रहा है जिसके माध्यम से 26 जनजातीय स्वराज संगठनो का गठन किया गया है जिसका उदेश्य सामुदायिक विकास के लिये नित-निरंतर प्रयास करना है। जिसमे अधिकांश समय में देखा गया है कि हमारा जनजातीय समुदाय भी वर्तमान समय में कही न कही नशे की चपेट में आता जा रहा है । जनजातीय समुदाय में विवाह, नोतरा,बाकरा,होली,दीवाली,जन्मदिवस एवं अन्य खुशी को जाहिर करने आदि के अवसर पर कही न कही शराब का सेवन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है । सरकार द्वारा अधिक राजस्व की लालसा में ग्राम

पंचायत स्तर पर भी शराब की दुकाने खोली जा रही है । जिससे राजस्व तो सरकार को मिलता है लेकिन कही न कही जनजाति समुदाय में इसका प्रभाव अधिकतर बच्चो,युवाओ के साथ समाज में बढ़ रही विभिन्न प्रकार के नशा सेवन की प्रवृत्ति विलासिता और सुख-सुविधा को देखते हुए दिनों दिन हिंसा, बलात्कार, चोरी, आत्महत्या, लुट, मारपीट अनेक अपराधो के पीछे नशा एक बहुत बढ़ी वजह बन रहा है ।

नशे से होने वाली बीमारियाँ:- नशे की वजह से कई प्रकार की बिमारियो ने जन्म ले लिया है जिसमे मुँह, गले व फेफड़ों का कैंसर, ब्लड प्रैशर, अल्सर, यकृत रोग, अवसाद एवं अनेक अन्य रोगों का प्रमुख कारण विभिन्न प्रकार का नशा है । इन सब कारणों के बारे में अवगत करवाते हुए जनजातीय स्वराज संगठनो के द्वारा मासिक बैठको में समाज को नशे के प्रभाव से बचाने के लिय समय समय पर जन-जागरूकता, रैली, अभियान, पोस्टर, नारा-लेखन, समागम आदि गतिविधियों के द्वारा समुदाय को जागरुक किया जा रहा है

बैठको के माध्यम से संगठनों द्वारा अवगत करवाया जा रहा है कि समाज को इस बुराई पर मंथन करना होगा, ताकि चिरागों को बचाया जा सके ।

नशा करने वालों को समाज से बहिष्कृत किया जाए, उनका हुक्का पानी बंद किया जाए ताकि एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके और युवाओं का जीवन बचाया जा सके ।

समय अभी संभलने का है। समाज को नशे के विरुद्ध आवाज उठानी होगी, ताकि युवाओं का भविष्य संवर सके । अगर समाज अब भी नहीं जागा तो युवा नशें की दलदल में धंसता जाएगा । समाज से इस बुराई को जड़ से मिटाना होगा ।

संगठनों के द्वारा समाज को जागरूक करने के लिय अलग अलग तरीको व रूपों में नशे के नकारात्मक प्रभावों के बारे में जनजातीय समुदाय को स्वास्थ्य से सबंधित समस्याएं, संतुलन और चलने में कठिनाई, चिंता, अवसाद और नींद की गड़बड़ी,अचानक वजन कम होना या वजन बढना,लीवर, ह्रदय, पेट में समस्याएं बढ़ना,मिर्गी और केंसर का खतरा बढ़ जाता है,इस बारे में बताया जा रहा है । साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी,प्रजनन क्षमता में कमी,व्यवहार में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन,हिंसक रवैया,व्यक्तित्व में बदलाव,समाज से दुरी बना लेना आदि से समुदाय प्रभावित हो रहा है । इस प्रकार जनजातीय स्वराज संगठनों के माध्यम से जनजातीय समुदाय को जागरूक कर वाग्धारा संस्था के संगठन अपनी महती भूमिका निभा रहे है । सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर समाज की सहायता के लिय 24X7 राष्ट्रीय टोल फ्री नशा मुक्ति हेल्पलाईन नम्बर 1800110031 भी स्थापित किया है ।

जनजातीय स्वराज संगठन सहयोग इकाई की गतिविधियाँ

हिरन

सभी पाठको को जय गुरु

जनजातीय स्वराज संगठन हिरन के सभी कर्मठ स्वराज साथियों व पाठको को जय गुरु, जैसा की हम सभी को विदित है पिछला साल हम सभी के लिए अति चुनौतीपूर्ण रहा हमने इस कोरोना काल में हमारे अपनो को खोने का दर्द झेला है तो कई लोगो ने स्वास्थ्य सम्बंधित कष्ट उठाया और लगता है आने वाला यह साल 2022 भी इसी प्रकार जाने वाला है क्योकि कोरोना का नया अवतार ओमिक्रोंन नामक वेरिएंट हमारे देश में एवं प्रदेश में आ चुका है और साथ ही साथ कोरोना के केस में भी पुनः वृद्धी हो रही है जोकि बहुत डराने वाला है सभी पाठको से निवेदन है की बुखार होने पर या किसी भी प्रकार के लक्षण दिखने पर आवश्यक रूप से डाक्टर की सलाह ले, सावधानियां बरते, मास्क पहने, दो गज की दुरी बनाये व हाथो को समय - समय पर धोते रहे । समस्त जन से निवेदन है अपना ध्यान खुद रखे,सतर्कता बरते,खुद बचे और दूसरों को बचाए । वर्तमान में सभी किसान भाइयों के खेतों में रबी की फसल लहरा रही है जो की काफी मनमोहक दिखती है किन्तु अधिक ठण्ड पड़ने से कुछ फसलो का जहाँ फायदा हुआ है वही बिन मौसम बारिश मावठ होने से नुकसान भी हुआ है । हमारे पाठको को विदित होगा कि पूर्व की लेख में कोरोना से बचाओ सम्बन्धी जानकारियां दी जा चुकी है जैसे जड़ी- बूटियों के बारे काफी बाते बताई गई थी और औषधीय पोधो के बारे में जानकारी आप सभी को मिल चुकी है जोकि आज की समस्यों को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण है ।

सच्चा स्वराज - सच्चा स्वराज के तहत हिरन इकाई के 356 गाँवो के 356 ग्राम विकास बाल अधिकार समिति की बैठक हुई । बैठक में ग्राम चोपाल के अंतर्गत पूर्व बनाये गए प्लान का फोलोअप लिया गया साथ ही नई योजना बनाने पर चर्चा हुई, नई रणनीति बनाई गई । स्थानीय मुद्दों को परम्परागत तौर पर समाधान किया एवं जटिल मुद्दों को पेरवी के लिए आगे ले जाया गया । इकाई में श्रमिको को योजनाओं से जोड़कर लाभ दिलाने के लिए ई-श्रम अभियान चलाया गया, जिसमे हिरन इकाई के 7 जनजातीय स्वराज संगठन के सभी ग्राम पंचायत में योजनाओं के प्रति जागृत किया गया व 4340 से ज्यादा ई-श्रम कार्ड बना कर ई-श्रम रजिस्टर किया गया । इस माह सभी 09 जनजातीय स्वराज संगठन की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम विकास योजना निर्माण, विरासत स्वराज यात्रा आयोजन का अहम मुद्दा रहा । चाइल्ड हेल्प लाइन 1098 के माध्यम से जरूरतमंद,पीड़ित बच्चो को सुविधायें उपलब्ध करवाना और गंभीर परिस्थिति वाले बच्चो के बारे में जानकारी देना । ये सभी कार्य करने में मुख्य भूमिका सहजकर्ता, स्वराज मित्र एवं सक्षम समूह, ग्राम विकास बाल अधिकार समिति एवं जनजातीय स्वराज संगठन के सदस्यों की रही । सभी संगठन की बैठक में संगठन की मजबूती पर चर्चा की गई । इसी क्रम में संस्था द्वारा कुशलगढ़ एवं सज्जनगढ़ के 971 सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता,आंगनवाड़ी सहायिका एवं आंगनवाड़ी सुपरवाइजर को कोरोना से बचने हेतु फेस शील्ड,मास्क, सेनेटाइज़र आदि सामग्री प्रदान की गई ताकि जनसहयोग व जनजागृति के समय वे स्वयं अपने को बचा सके ।

सच्चा बचपन - सच्चा बचपन के तहत हिरन इकाई के 356 गाँवो में से 347 गाँवो में ग्राम विकास बाल अधिकार समिति की बैठक का आयोजन किया । जिसका उदेश्य ग्राम सभा में सम्मलित ग्राम विकास योजना का फ़ोलौअप एवं बालिका शिक्षा और ड्राप आउट बच्चो की सूची तैयार कर उन्हें शिक्षा से पुनः जोड़ना व अनाथ बच्चो को पालनहार योजना से जोड़ना रहा । कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए समुदाय व बच्चो को जागरूक करना रहा एवं कोरोना टीकाकरण के प्रति जागरूक किया गया । इस माह 105 ग्राम पंचायतो में बाल सभा का भी आयोजन किया गया । जिसमे बच्चो को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना एवं खेल खेल के माध्यम से बच्चो का शारीरिक और मानसिक विकास करना रहा व बच्चो में नेतृत्व क्षमता का विकास करने पर चर्चा की गई ।

सच्ची खेती - सच्ची खेती कार्यक्रम के तहत 354 सक्षम समूह की बैठक की गई । बैठक के दौरान बीज विविधता पर अभ्यास,अनुमानित उत्पादन,फसल की स्थिति पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई । वर्तमान परिस्थिति में अधिक उत्पादन पैदावार के लिए समुदाय द्वारा रासायनिक खाद और दवाई व कीटनाशक का उपयोग ज्यादा किया जाने लगा है जिसके कारण लोगो के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने लगा है जिसका उदाहरण कोरोना महामारी में देखने को मिला है । इसी को ध्यान में रखते हुए संस्था द्वारा जैविक खेती जिसके अंतर्गत वर्मी खाद, कम्पोस्ट पीट व कीटनाशक हेतु दशपरणी दवाई व बीज उपचार आदि पर जनजातीय समुदाय के 356 गाँवो में महिला किसानो का प्रत्येक गाँव में एक समूह बना हुआ है । उस समूह को हर माह प्रशिक्षित करना और उन महिलाओं के द्वारा गाँव और रिश्तेदारी में अन्य किसानो को जैविक खेती के बारे में जागरूक करने का काम किया जा रहा है । वाग्धरा संस्था द्वारा सच्ची खेती अंतर्गत जैविक तरीकों से परम्परागत खेती को वापस बहाल करवाने हेतु प्रयास किये जा रहे है तथा जैविक कीटनाशक जैविक खाद इत्यादि बनाने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है इस माह में जैविक ग्रुप की कुल 93 मीटिंग हुई है जिसमें जैविक कृषि संबंधी क्रियाकलाप के बारे में किसानों को जागृत किया गया है तथा जैविक कृषि पद्धति अपनाकर इससे होने वाले फायदे के बारे में बताया गया है तथा अधिक से अधिक जो किसान जैविक कृषि में रुचि रखते हैं उन्हें सभी जैविक गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है ।

माही

!! **सब ने मारू राम-राम** !!

प्रिय संगठन के साथियों जनजातीय स्वराज संगठन माही में इस माह हमने शुरुआत नियमित चल रहे ई श्रम स्वराज अभियान के तहत हमने घाटोल खंड के 68 ग्राम पंचायतो में एक सफल आयोजन किया गया जिसमे हमारे स्थानीय ग्राम विकास एवं बाल अधिकर समिति के साथ सक्षम समूह एवं जनजातीय स्वराज संगठनो के माध्यम से कुल 8594 समुदाय सदस्यों को लाभान्वित किया गया साथियों इस कार्ड की महत्ता ई-श्रम कार्ड हासिल करने वाले मजदूरों को देश में कहीं भी रोजगार पाना आसान हो जायेगा. डाटा बेस में उनसे जुड़े आंकड़े होने की वजह से उन्हें काम पाने में प्राथमिकता मिल सकेगी। ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिक को 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर दिया जाएगा. पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिक यदि दुर्घटना का शिकार होता है तो मृत्यु या फिर पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपये की धनराशि दी जाएगी. वहीं, अगर श्रमिक आंशिक रूप से विकलांग होता है तो इस बीमा योजना के तहत वह एक लाख रुपये का हकदार होगा। इस कार्ड की मदद से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना, स्वरोजगार करने वालों के लिये राष्ट्रीय पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना, आयुष्मान भारत, बुनकरों के लिये स्वास्थ्य योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा।

सच्चा स्वराज - ग्राम विकास एवं बाल अधिकार समिति के सदस्य जागरूक हुए है और अपने एवं अपने गाँव की समस्याओ के समाधान के लिए आवाज उठाते है और उसके समाधान के लिए हो सके वहा तक पूरा प्रयास करते है और इसके बाद यही संगठन बड़े रौंप में हमारे जन जातीय स्वराज संगठन के माध्यम से जो अपनी गाँव की बड़ी सार्वजनिक समस्या को बैठक में रखते रहे है ।ग्राम विकास एवं बाल अधिकार समिति के सदस्यों की उपलब्धिया है जागरूक होने की वजह अपनी – अपनी ग्राम पंचायत स्तर पर हुए प्रशासन गाँवों के संग अभियान में अपने गाँवों की समस्या की आवाज उठाई और कई समस्याओं का समाधान करवाए और कई समस्या जो बड़ी है उनको जनजातीय स्वराज संगठन तक भी पहुँचाया । जैसे कई ग्राम पंचायतो में सार्वजनिक रास्तो की समस्या का निवारण प्रार्थना –प्रत्र वालाई शमशान घाट का रास्ता कई लोगो के आबादी पट्टे बनवाने में पटवारी व सचिव एवं सरपंचजी के सम्पर्क साध कर कार्य करवाए । ग्राम विकास एवं बाल अधिकार समिति के सदस्यों ने मिलकर स्थानीय विद्यालय महोदय जी से मिलकर जमीन एलोटमेंट सिफारिश की गई एवं राजस्व विभाग की भाषा में एलोटमेंट शिविरों से पहले जमीन का आकड़ा उच्चधिकारीयो को भेजना होता है उसके लिए उपखंड अधिकारी को विधायक द्वारा सिफारिश कर पटवार हल्का वाईज जमीन की उद्घघोषणा करवाने की अपील जनजातीय स्वराज संगठन के पदाधिकारीयो के साथ मिलकर की गई, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगो के जमीन का आवंटन प्रक्रिया हुई । ग्राम विकास एवं बाल अधिकार समिति के सदस्यों ने स्थानीय विधायक को बताया जिससे आंवटन प्रक्रिया कोई गलत भी नही हुआ और भष्ट्राचार भी नही हुआ एवं लोगो का कार्य विधिवत तरीके से हुआ।

साथ ही संगठनो ने साथ में मिलकर इस माह जनजातीय स्वराज संगठन गनोड़ा, अमर सिंह का गढ़ा ने मिलकर नहरी सिंचाई प्रणाली की जर जर नहरे हो या हेड से टेल तक के किसानो को सिंचाई का पानी हो इसके लिए इन्होने खंड स्तर पर ज्ञापन दिया साथ ही इन्होने जंगली जानवरों से होने वाले फसलो के नुकसान हो। हमारे संगठन अब अपने हक की लड़ाई सिखते हुए अपनों हकों को लेने के लिए अग्रसर है जो काफी हद तक सुखदायी है।

सच्चा बचपन- बाल पंचायतो ने जनजातीय स्वराज संगठन पीपलखूंट के मोरवानिया के बाल पंचायत की कहानी से प्रेरणा लेते हुए इस बार अपने यहा पर भी खेल मैदान के लिए माग रखना शुरू की है और इसमें सबसे सुखद देखा जाए तो इसमें ग्राम स्तर पर बनी हमारी ग्राम विकास एवं बाल अधिकार समिति पूर्ण सहयोग में खड़ी होने लगी है साथियों हम अब हमारे बच्चो के अधिकर के लिए अब चुप नहीं बैठेंगे इसमें हमारे गाँव में 18 वर्ष से कम आयु वाले समस्त मनुष्यों के लिए मूलभूत स्वयत्ता तथा जन्मजात अधिकार बाल अधिकार हैं। यह अधिकार आयु, भाषा, कुल, रंग, जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय, शारीरिक क्षमता या अन्य स्तर के आधार पर भेदभाव किए बिना समस्त बच्चों पर समान रूप से लागू है। इसका आधारभूत तथ्य समान अवसर प्रदान करना है जो हम मिलकर करेंगे..घाटोल में अब इन अधिकारों के कार्य प्रणाली में काफी सुधार आया जिससे हम आज की तारीख में देख सकते है की बच्चे शिक्षा से जुड़े हुए है साथ ही हमे बाल श्रम कही देखने को नही मिल रहा है साथ ही बच्चो के पालनहार हो या अन्य सामाजिक सुरक्षा से वंचिता हो ग्राम स्तर के समूह अब अपने स्तर पर ही निर्धारण करना सिख गये है..

सच्ची खेती- सक्षम समूह की महिला किसान बहने अपने –अपने आस –पास की महिला किसान बहनों को भी पोषण वाड़ी एवं ज्यादा रासायनिक दवाई एवं रासायनिक खाद का उपयोग नही करना चाहिए ।इस पर एक – दुसरे को बात जरुर करती है एवं हो सके वहा हर महिला किसान बहन कोविड -19 कोरोना महामारी आई जब से हमारे सक्षम समूह की बैठकों में चर्चा के दौरान होने वाली चर्चा से प्रभावित होकर हर घर पर अपनी जमीन की सुविधानुसार पोषण वाड़ी जरुर कर रही है । पोषण बगीया में ज्यादा से ज्यादा किटनाशक नही डालना चाहिए उसके दुष्प्रभाव की जानकारी चर्चा से मिलने से उस का भी उपयोग नही के बराबर करने लगे है या कर रहे है ।पोषण वाटिका एवं अन्य फसलो में जैविक दवाई / जैविक खाद का उपयोग करने की पूरी तरह चर्चा होती है और इन महिला बहनों का पता भी लग चूका है । सक्षम समूह की महिला बहनों को पता भी लग चूका है की डूंगरपुर जिला – जैविक खाद ही उपयोग ले रहा है । यह घोषित कर दिया है और इसमें हमरी बहने इसको पहले से ही भली भाती जानकर इसका उपयोग करना ग्राम चोपालो में मिले शिक्षा से सिख गयी है।

इसलिए महिला बहनों ने अपने परिवार के आस –पास एवं सगे सम्बन्धियों में यह चर्चा शुरू कर दी गई एवं कई गाँवों में तो यह भी प्रचार हो रहा है । अगले वर्ष यूरिया खाद ही बंद हो जायेगा । उसके बदले कोई बोतलों द्वारा जैविक खाद आयेगा, यह समझ उनकी बन चुकी है। अब हमे ही अपनी जरुरत अनुसार देशी खाद का उपयोग करना चाहिए ताकि हमारी जमीन को भी बंजर होने से बचाया जा सकता है । क्योकि ज्यादा से ज्यादा रासायनिक खाद व दवाइयो का प्रयोग करके धरती माता को हम ही खराब कर रही है । हमारी आनेवाली पीढ़ी को हम क्या देंगे । यह बात अपनी – अपनी समझ के अनुसार हर महिला किसान के घर पर समूह आदि जगहों पर हो रही है इसलिए अब जैविक खेती की और ज्यादा ध्यान दे रहे है ।

अंत में घाटोल के 268 आँगनवाड़ी में आशा सहयोगी एवं कार्यकर्ताओ को इस बार सेक्टर वार मास्क, फेसशील्ड एवं कोरोना से बचाव की पुस्तिका एवं बेग कुल 536 साथियों को वितरित किया गया ताकि समुदाय में तत्पर रहने वाली यह कड़ी सुरक्षित रह सके और हमारे समुदाय के बच्चो को समय पर हर सुविधा प्रदान कर सके साथियों महिला एवं बाल अधिकार टीम का सहयोग हम सब अच्छे से समझते है जिस कारण हमे लगा की यह कदम लेना अत्यंत आवश्यक है जो हमने किया ...

मास्क भी एक वैक्सीन है इसका उपयोग घर से निकलते समय जरुर करे अपने लिए नहीं पर अपने बच्चो के लिए ही सही.....

मानगढ़

!! **हेता वागड़ वासीयो ने जय गुरु** !!

समुदाय के मेरे सभी साथियों एवं वातें वाग्धारा नी के सभी पाठकों को मेरी ओर से जय गुरु

आशा है की आप सभी स्वस्थ्य एवं कुशल होंगे । आप सभी स्वस्थ, सुखद और प्रसन्न रहे । पर हम सभी यह देख रहे की कोरोना का कहर अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा कोरोना की तीसरी लहर का प्रकोप भी दिनों दिन बढ़ रहा है, बड़े बड़े शहरो में आये दिन केस में बढोतरी हो रही है कुछ लोग इस गंभीर बीमारी के शिकार के कारण अपना जीवन खो चुके है हम सभी से ईश्वर यही प्रार्थना करते है की उनके परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें और सभी को इस महामारी से सुरक्षित रखें आप सभी से निवेदन है की अपने घर पर समय समय पर हाथ धोएं, मास्क का उपयोग करें और अधिक भीड़ वाली जगह पर जाने से बचे और अपने बच्चों का भी पूरा ध्यान रखें । सर्दी का मौसम अब समाप्त होने को है, खेतो में अब जौ,मक्का,गेहूं की फसल भी बड़ी हो गई है, कुछ दिन बारिश भी आई जिससे ठण्ड भी बढ़ गई, जौ, गेहूं की फसल के लिए बारिश का आना एक तरह से अच्छा है, जिससे जिन किसान भाइयों के पास कोई सिचाई के लिए पानी की उपलब्धता नहीं है उन किसान भाइयों के लिए बारिश प्रकृति का उपहार है, जिससे फसल को बढ़ने में मदद मिली, आशा है इस बार आपकी फसल का नुकसान कुछ कम हुआ होगा । जब हम सच्ची खेती की बात करते है, तो हमे ये ध्यान देना होगा की खेती हमारी तभी सम्पूर्ण हो पायेगी जब हम बाजार से अपनी निर्भरता को कम करेंगे और अपनी मृदा को स्वस्थ बनायेंगे व बीज एवं खाद को लेकर आत्मनिर्भर बनेंगे । जब स्वयं का बीज हमे उपलब्ध हो पायेगा तभी खेती में हमे स्वराज देखने को मिल सकता है। और अपना बीज स्वराज लाने के लिए हमे बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, और इस कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण है घर पर ही अपना बीज संयोजन करना और समुदाय में बीज संयोजन तंत्र को बढ़ावा देना । जिसमें अपने खुद के घर पर हर तरह के परम्परागत बीजों का भण्डार हो, और बाजार तक जाने की जरुरत हमें नहीं पड़े । तो जैसे की हर माह हम अपने इकाई की गतिविधियों को आपके साथ साझा करते है तो इस माह भी कुछ गतिविधि हमारे द्वारा की गई है जो आप सभी के साथ साझा कर रहें ।

1. राष्ट्रीय बालिका दिवस (24 दिसम्बर) हमारा स्वाभिमान

इससे बड़ा कोई धन नहीं, ना इससे बड़ा सम्मान ।
ईश्वर की दी भेंट है बेटी, उसकी अलग पहचान ।
ये भार नहीं सर का ताज है बेटियां
कडकड़ी ठंड में सुहानी धुप का अहसास है बेटियां
ये जब भी हंसती है, आसमान खिल सा जाता है
मानो खोई चीज मिलने पर सुकून सा मिल जाता है
देश का नाम शिखर पर पहुंचाती है बेटियां
ये भार नहीं सर का ताज है बेटियाँ

समाजिक लोगों के बीच बालिकाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिये और समाज में लड़कियों की स्थिति को बढ़ावा देने के लिये इस दिवस को मनाया जाता है। ये बहुत जरुरी है कि विभिन्न प्रकार के समाजिक भेदभाव और शोषण को समाज से पूरी तरह से हटाया जाये जिसका हर रोज लड़कियाँ अपने जीवन में सामना करती हैं। समाज में लड़कियों के अधिकारों की जरुरत के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिये एक समान शिक्षा और मौलिक आजादी के बारे में विभिन्न राजनीतिक और सामुदायिक नेता जनता में भाषण देते हैं। लड़कियों के लिये ये बहुत जरुरी है कि वो सशक्त, सुरक्षित और बेहतर माहौल प्राप्त करें। उन्हें जीवन की हर सच्चाई और कानूनी अधिकारों से अवगत होना चाहिये। उन्हें इसकी जानकारी होनी चाहिये कि उनके पास अच्छी शिक्षा, पोषण, और स्वास्थ्य बेहतर रखने का अधिकार है। जीवन में अपने उचित अधिकार और सभी चुनौतियों का सामना करने के लिये उन्हें बहुत अच्छे से कानून सहित घरेलु हिंसा की धारा 2009, बाल-विवाह रोकथाम एक्ट 2009, दहेज रोकथाम एक्ट 2006 आदि से अवगत होना चाहिये। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने "धनलक्ष्मी योजना" की शुरुआत की है जिसके तहत बालिका शिशु के परिवार को नकद हस्तांतरण के द्वारा मूलभूत जरुरतों जैसे असंक्रमीकरण, जन्म पंजीकरण, स्कूल में नामांकन को पूरा किया जाता है। इसीलिए बालिकाओं को बराबरी का दर्जा देने के लिए देश के लोगों में जागरूकता पर नजर रखते हुए राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है।

बालिका के लिये राष्ट्रीय कार्य दिवस के रुप में हर वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। देश में लड़कियों को आत्मनिर्भर और अहम दर्जा देना इस दिवस का उदेश्य है। समाज में बालिका असमानताओं को मिटाने के लिए लोगों के बीच जागरुकता को बढ़ाना इस दिवस को मनाने का लक्ष्य है। भारत में बालिका शिशु की स्थिति को सुधारने के लिये महिलाओं के लिये स्थानीय सरकार में एक-तिहाई सीट भारतीय सरकार ने आरक्षित रखी है। महिलाओं की स्थिति और रोजगार के मौके को बढ़ाने के लिये कानून द्वारा एमटीपी विरोधी, सती कानून विरोधी, दहेज विरोधी एक्ट भी लाया गया है। बालिकाओं को बराबरी का दर्जा देने के लिए देश के लोगों में जागरूकता लाने के लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है।

2. श्रमिक स्वराज अभियान का आगाज

दिनांक : 13 दिसम्बर से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय व वाग्धारा संस्था के संयुक्त तत्वाधान में श्रमिक स्वराज अभियान का शुभारंभ किया गया जिसमें जिला कलेक्टर महोदय श्री अंकित कुमार सिंह ने दिनांक 13 दिसम्बर को हरी झण्डी देकर अभियान के रथ को रवाना किया जो दिनांक 17 दिसम्बर 2021 तक चला, जिसमें बांसवाडा जिले के घाटोल, कुशलगढ़, सज्जनगढ़, गागड़तलाई, व आनंदपुरी के 202 ग्राम पंचायत पर श्रमिक स्वराज अभियान का आयोजन किया जा रहा है, जिसमे मानगढ़ इकाई की 60 ग्राम पंचायत में श्रमिक स्वराज अभियान का आयोजन किया जायेगा और साथ ही 8478 श्रमिको के ई-श्रम कार्ड बनाये गये ,जिसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत पर रथ गया और ई-मित्र संचालक के द्वारा ग्रामीणों के निःशुल्क ई-श्रम कार्ड बनेंगे अभियान का मुख्य उद्देश्य श्रमिक पहचान कार्ड बनाना, श्रमिकों को उनके हक के लिए जागरूक बनाना है एवं सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है जिसमें प्रधानमंत्री श्रम योगी –धन पेंशन योजना (PM-SYM) का लाभ दिलाना, असंगठित कामगारों को सरकार की योजनाओं से जोड़ना ।

- विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुरक्षा लाभों का वितरण ई-श्रम के द्वारा किया जायेगा।
- आपदा या महामारी जैसी कठिन परिस्थितियों में केंद्र व राज्य सरकारों से मदद प्राप्त करने में होगी आसानी ।
- पीएम-एसबीवाई (PM-SBY) के तहत दुर्घटना बीमा कवरेज मिलेगा ।

3. छाव परियोजना के तहत कोरोना किट का वितरणः

कोरोना की तीसरी लहर के बढ़ते केस को ध्यान में रखते हुए वाग्धारा संस्थान और बैंक ऑफ़ बड़ौदा के सहयोग से छाव परियोजना के अन्तर्गत ब्लॉक गागड़तलाई, आनंदपुरी, फतेहपुरा व झालोद में सभी 1361 आंगनवाडी केंद पर आंगनवाडी कार्यकर्ता, सहायिका व महिला एवं बाल विकास विभाग की महिला पर्यवेक्षक को कोरोना किट वितरण किये गये जिसमे मास्क, फेस शील्ड व IEC पुस्तिका शामिल है, जिससे महिला एवं बाल विकास विभाग की समस्त कार्यकर्ता को कोरोना से बचाव के लिए प्रशिक्षित किया गया ताकि यह सभी अपने गाँव में कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर सके व गाँवो में जन जागरूकता का कार्य कर सके एवं गाँवो में लोगों को कोरोना महामारी से बचाने में सहयोग कर सके ऐसा ही प्रयास वाग्धारा इससे पहले कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप से बचने के लिए ब्लॉक आनंदपुरी, गागड़तलाई, फतेहपुरा व झालोद में आशाओं को कोरोना किट वितरण किये जिसमें पल्स ओक्सिमीटर, थर्मोगन मीटर व मास्क थे । जिससे आशा कार्यकर्ता कोरोना के चलते गाँवो में समय पर कोरोना की जाँच कर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा सके । और अपने गांव में कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर सके ।

4. जनजातीय स्वराज संगठन के सदस्यों का (Policy Advocacy Initiative) नीति निर्माण व पैरवी प्रशिक्षणः

वाग्धारा संस्थान के सहजकर्ता व जनजातीय स्वराज संगठन के सदस्य को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया जिसका मुख्य उद्देश्य है-

1 जनजातीय स्वराज संगठन के सदस्यों का उच्च स्तर (राज्य स्तर) तक संवाद स्थापित करना।

2 स्थानीय एक समान समस्या जो बड़े पैमाने पर हो उसको राज्य स्तर तक पहुँचाना।

3 जनजातीय क्षेत्र के मुद्दे के समाधान के लिए नई नीतिगत योजना बनाना व राज्य सरकार तक अपनी बात रखना।

4 प्रत्येक जनजातीय स्वराज संगठन के सदस्यों में से एक प्रभावशाली व्यक्ति का चयन करना और उन्हें Policy Advocacy Inisative इकाई का सदस्य बनाना ।

विश्व कैंसर दिवस (World Cancer Day)

"कैंसर से एक लड़ाई की शुरुआत तो होती है, लेकिन पूरी उम्मीद और दृढ़ निश्चय के साथ आप इसे जीत सकते हैं"

इस दिवस को मनाने का उद्देश्य कैंसर के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना और रोग का जल्दी पता लगाने की जरूरत तथा कैंसर के उपचार पर ध्यान केंद्रित करना है. इसका मुख्य उद्देश्य बीमारी के प्रति लोगों तक सही शिक्षा पहुँचाना और विश्व में प्रत्येक वर्ष लाखों लोगों को कैंसर के कारण होने वाली मृत्यु से बचाना भी है। साथ इसके द्वारा कैंसर पीड़ितों और उनके परिवार की परेशानियों को कम करने के लिए भी प्रयास किये जाते हैं । हर साल यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल (UICC) 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस का आयोजन करता है। इसका मकसद कैंसर से होने वाली कैंसर की बीमारी को खत्म करने के लिए वैश्विक समुदाय में जागरूकता बढ़ाना है।

शरीर में कोशिकाओं के समूह की अनियंत्रित वृद्धि कैंसर है. ये कोशिकाएं टिश्यू को प्रभावित करती हैं. इससे कैंसर शरीर के अन्य हिस्सों में फैल जाता है। लेकिन यदि कैंसर का सही समय पर पता ना लगाया गया और उसका सही समय पर उपचार नहीं हुआ तो इससे मौत का जोखिम भी बढ़ सकता है। जानलेवा बीमारियों में कैंसर सबसे खतरनाक है और किसी भी उम्र में हो सकता है । इस बीमारी के लक्षणों का पता ही नहीं चलता है। जब इस बीमारी के होने का खुलासा होता है, तब तक काफी देर हो चुकी है और इसी वजह से कई लोगों को उचित इलाज का समय ही नहीं मिल पाता है। अगर वक्त पर कैंसर की बीमारी का पता चल जाए तो इसका इलाज हो सकता है। साल 2018 में कैंसर की बीमारी की वजह से दुनियाभर में 96 लाख से ज्यादा मौतें हुई थी।विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, हर साल होने वाली छह मौतों में से एक कैंसर की बीमारी की वजह से होती है। हर आठ मिनट में इस बीमारी के एक व्यक्ति की मौत होती है। कैंसर से होने वाली 70 फीसद मौतें कम और मध्यम आय वाले देशों में होती हैं। चीन और अमेरिका के बाद कैंसर के सबसे ज्यादा मरीज

भारत में हैं। हर साल भारत में करीब 10 लाख नए कैंसर के केस दर्ज होते हैं।भारत में ब्रेस्ट कैंसर सबसे तेजी से फैला है। भारतीय महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ा है। वहीं, पुरुषों में सबसे ज्यादा तादाद फैफड़े के कैंसर के मरीजों की है जो कि 10.6 फीसदी है। वहीं, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की संख्या 27.5 फीसदी है।

पुरुषों में होंठ, मुख और गले का कैंसर बढ़ रहा है वहीं, महिलाओं में स्तन कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे है। अन्य कारणों में शराब, नशीली दवाओं का उपयोग और खराब आहार शामिल हैं। सर्वाइकल कैंसर के लिए असुरक्षित यौन संबंध भी मुख्य जोखिम कारक है जो की महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर का प्रकार है। फेफड़ों के कैंसर का कारण तंबाकू का उपयोग और वायु प्रदूषण है। लैंसेट रिपोर्ट से पता चलता है कि तंबाकू का उपयोग 14 प्रकार के कैंसर का कारण है।

प्रत्येक वर्ष में इस विशिष्ट दिन पर लोगों को सरकारी अस्पतालों, सीजीएचएस और नगर निगम के क्लीनिकों में मुफ्त जांच करवाने के लिए प्रोत्साहित और कैंसर से बचने और शुरुआती लक्षणों के लक्षण देखने के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना पुस्तिकाओं का व्यापक रूप से प्रसार किया जाता है।अगर लोग जल्द से जल्द लक्षण प्रकट होने पर जांच के लिए रिपोर्ट करते हैं तो कैंसर का इलाज उस लागत के एक अंश पर किया जा सकता है, जो एक अंतिम चरण में निदान करने पर होता है। इससे मृत्यु दर काफी हद तक कम हो जाती है। यह देखा गया है कि आमतौर पर, कैंसर के कोई विशिष्ट लक्षण नहीं होते हैं। इसलिए, लोगों को समय पर उचित कैंसर की जांच करवानी चाहिए । इसके अलावा, कैंसर की शुरुआती पहचान ने कई कैंसर को इलाज योग्य बना दिया है।

कैंसर के लक्षण

- लंबे समय तक गले में खराश होना लगातार खांसी आना
- आहार निगलने में रुकाव होना शरीर में गठान पड़ना
- कहीं से भी पानी या रक्त बहाव होना
- त्वचा में मस्से या तिल में परिवर्तन

कैंसर के कारण

- दवाओं के साइड इफेक्ट्स
- धूम्रपान करना
- अधिक वजन होना
- पौष्टिक आहार ना लेना
- तंबाकू चबाना
- व्यायाम ना करना
- लाइफ स्टाइल में बदलाव

इसके अलावा – बाहर का खाना, खाने-पीने की चीजों को प्लास्टिक में रखना, अगरबत्ती का धुँआ, मच्छर मारने वाले अगरबत्ती का धुँआ, तम्बाकू प्रोडक्ट, फ़ास्ट फूड, पैकेट बंद सामान, रिफाइंड तेल, एल्युमिनियम के बर्तन, नॉनस्टिक बर्तन, सिल्वर फॉयल (जो खाना पैक करने के लिए चमकीला पेपर प्रयोग करते है.) आदि भी कैंसर के कारण हैं।

विश्व कैंसर दिवस पर लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरुक किया जाता है| उन्हें इस बीमारी के लक्षण, कारण तथा इलाज के बारे में जानकारी दी जाती है।कैंसर जैसी बिमारी की रोकथाम करने के लिए और इसके प्रति जागरूकता लाने के लिए बहुत सी सरकारी और गैर – सरकारी संस्थाओं द्वारा विभिन्न कैंप, रैली, लेक्चर और सेमिनार, आदि चलाये जाते हैं। इन कार्यक्रमों में सामान्य जनता की ओर फोकस किया जाता हैं और उन्हें मुख्य रूप से इसमें शामिल किया जाता

हैं ताकि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सफल हो सके। इसके अलावा लोगों में फैली कुछ भ्रांतियां और विभिन्न गलत धारणाओं को जैसे कैंसर पीड़ित व्यक्ति को छूने से कैंसर फैलता हैं और कैंसर पीड़ित व्यक्तियों को सामान्य व्यक्तियों की तरह समान अधिकार प्राप्त नहीं होते, आदि को भी दूर किया जाता है ।

कैंसर से बचाव

कैंसर से बचाव के लिए अपने रहन-सहन और खान-पान में बदलाव लायें जैसे कि प्लास्टिक की बोतल की जगह स्टील का बोतल इस्तेमाल करें, खाना पैक करने के लिए सिल्वर फॉयल की जगह कॉटन के कपड़े इस्तेमाल करें, एल्युमिनियम के बर्तन की जगह स्टील के बर्तन इस्तेमाल करें, फ़ास्ट फूड, पैकेट बंद और बाहर का खाना न खाएं इसकी जगह घर से खाने के लिए कुछ ले कर चले ।

इस महाविनाशकारी बीमारी के खिलाफ, इस पहल के द्वारा पूरा विश्व एक साथ एकजुट होकर खड़ा रहता है । कैंसर की बीमारी से कोई देश अछुता नहीं है और पुरे विश्व को इसने जकड़ा हुआ है। इस भयानक बीमारी से जीत पाने के लिए सभी को पूरी ताकत के साथ एक साथ खड़े होकर इसका सामना करना होगा । यदि आप एक स्वस्थ जीवन को जीना चाहते है तो आप ख़ुद सोचे कि हमारे स्वास्थ के लिए क्या अच्छा है और क्या नही. इससे आपके पैसे भी बचेंगे और आप स्वस्थ भी रहेंगे ।

|| सहजन / सरगवा/ हरगवा एक बहुगुणी औषधीय वृक्ष ||

मित्रो सहजन की फलियाँ अब बाजार में दिखने लगी है....

100 रोगों की एक दवा तो आपने सुना होगा पर सहजन ऐसा पेड़ जिसकी पत्तियों एवं फलियों में 300 से अधिक रोगों की रोकथाम के गुण होते है,सहजन में 92 विटामिन्स, 46 एंटी आक्सीडेंट, 36 दर्द निवारक और 18 तरह के एमिनो एसिड मिलते है, पर दुर्भाग्य कहे कि अज्ञानता कइ लोग आज भी इसे अपने घर के आसपास लगाना नही चाहते,यह एक ऐसा पेड़ है जो बहुत जल्दी वृद्धि करता है दो वर्ष के पेड़(देशी) से आप काफी अच्छी फलियाँ प्राप्त कर सकते हैं । इसे कलम से भी लगाया जा सकता हैं। चारे के रूप में इसकी हरी या सूखी पत्तियों के प्रयोग से पशुओं के दूध में डेढ़ गुने से अधिक और वजन में एक तिहाई से अधिक वृद्धि की रिपोर्ट है,यही नहीं इसकी पत्तियों के रस से बहुत ही गुणकारी टॉनिक बनाया जा सकता है जो उपज में सवाया से अधिक की वृद्धि करता है । इसकी पत्तियो को सुखाकर उसका पाला हम सब्जी के रूप में भी उपयोग ले सकते है, कुपोषण, एनीमिया, खून की कमी की जंग को यदि जीतना है तो हर घर सहजन का पेड़ लगा दो इसकी फलियां जहाँ शरीर को पोषित करेगी वही भूमि के जैवीय तत्व में आश्चर्यजनक वृद्धि होगी । इसके औषधीय गुणों को देखकर कुछ समय पूर्व सरकार ने भी हर आंगनबाड़ी में सहजन के पौधे लगाने का आदेश दिया था,पर सरकारी तंत्र से अधिक अपेक्षा नही की जा सकती। यह दुनिया का सबसे ताकतवर पोषण पूरक आहार है। इसकी जड़ से लेकर फूल, पत्ती, फली, तना, गोंद हर चीज उपयोगी होती है।

आयुर्वेद में सहजन से तीन सौ रोगों का उपचार संभव है। सहजन के पौष्टिक गुणों की तुलना :- विटामिन सी- संतरे से सात गुना अधिक। विटामिन ए- गाजर से चार गुना अधिक। कैलशियम- दूध से चार गुना अधिक। पोटेशियम- केले से तीन गुना अधिक। प्रोटीन- दही की तुलना में तीन गुना अधिक।स्वास्थ्य के हिसाब से इसकी फली, हरी और सूखी पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम,पोटेशियम,आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन-ए, सी और बी-काम्प्लेक्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इनका सेवन कर कई बीमारियों को बढ़ने से रोका जा सकता है । सहजन का फूल पेट और कफ रोगों में, इसकी फली वात व उदरशूल में, पत्ती नेत्ररोग, मोच, साइटिका, गठिया आदि में उपयोगी है। इसकी छाल का सेवन साइटिका, गठिया, लीवर में लाभकारी होता है। सहजन के छाल में शहद मिलाकर पीने से वात और कफ रोग खत्म हो जाते हैं। सहजन की पत्ती का काढ़ा बनाकर पीने से गठिया, साइटिका, पक्षाघात, वायु विकार में शीघ्र लाभ पहुंचता है। साइटिका के तीव्र वेग में इसकी जड़ का काढ़ा तीव्र गति से चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। मोच इत्यादि आने पर सहजन की पत्ती की लुगदी बनाकर सरसों तेल डालकर आंच पर पकाएं और मोच के स्थान पर लगाने से जल्दी ही लाभ मिलने लगता है।सहजन के फली की सब्जी खाने से पुराने गठिया, जोड़ों के दर्द, वायु संचय, वात रोगों में लाभ होता है। इसके ताजे पत्तों का रस कान में डालने से दर्द ठीक हो जाता है साथ ही इसकी सब्जी खाने से गुर्दे और मूत्राशय की पथरी कटकर निकल जाती है। इसकी जड़ की छाल का काढ़ा सेंधा नमक और हींग डालकर पीने से पित्ताशय की पथरी में लाभ होता है।

सहजन के पत्तों का रस बच्चों के पेट के कीड़े निकालता है और उल्टी-दस्त भी रोकता है। ब्लड प्रेशर और मोटापा कम करने में भी कारगर, सहजन का रस सुबह-शाम पीने से हाई ब्लड प्रेशर में लाभ होता है। इसकी पत्तियों के रस के सेवन से मोटापा धीरे-धीरे कम होने लगता है। इसकी छाल

के काढ़े से कुल्ला करने पर दांतों के कीड़े नष्ट होते हैं और दर्द में आराम मिलता है। सहजन के कोमल पत्तों का साग खाने से कब्ज दूर होता है, इसके अलावा इसकी जड़ के काढ़े को सेंधा नमक और हींग के साथ पीने से मिर्गी के दौरों में लाभ होता है। इसकी पत्तियों को पीसकर लगाने से घाव और सूजन ठीक होते हैं। सहजन के बीज से पानी को काफी हद तक शुद्ध करके पेयजल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बीज को चूर्ण के रूप में पीसकर पानी में मिलाया जाता है। पानी में घुल कर यह एक प्रभावी नेचुरल क्लोरीफिकेशन एजेंट बन जाता है। यह न सिर्फ पानी को बैक्टीरिया रहित बनाता है, बल्कि यह पानी की सांद्रता को भी बढ़ाता है। कैंसर तथा शरीर के किसी हिस्से में बनी गांठ, फोड़ा आदि में सहजन की जड़ का अजवाइन, हींग और सौंठ के साथ काढ़ा बनाकर पीने का प्रचलन है। यह काढ़ा साइटिका (पैरों में दर्द), जोड़ों में दर्द, लकवा, दमा, सूजन, पथरी आदि में भी लाभकारी है, सहजन के गोंद को जोड़ों के दर्द तथा दमा आदि रोगों में लाभदायक माना जाता है। आज भी ग्रामीणों की ऐसी मान्यता है कि सहजन के प्रयोग से वायरस से होने वाले रोग, जैसे चेचक आदि के होने का खतरा टल जाता है।

सहजन में अधिक मात्रा में ओलिक एसिड होता है, जो कि एक प्रकार का मोनोसैच्युरेटेड फैट है और यह शरीर के लिए अति आवश्यक है। सहजन में विटामिन-सी की मात्रा बहुत होती है। यह शरीर के कई रोगों से लड़ता है। यदि सर्दी की वजह से नाक-कान बंद हो चुके हैं तो, सहजन को पानी में उबालकर उस पानी का भाप लें। इससे जकड़न कम होती है। सहजन में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, जिससे हड्डियां मजबूत बनती हैं। इसका जूस गर्भवती को देने की सलाह दी जाती है, इससे डिलवरी में होने वाली समस्या से राहत मिलती है और डिलवरी के बाद भी मां को तकलीफ कम होती है, गर्भवती महिला को इसकी पत्तियों का रस देने से डिलीवरी में आसानी होती है। सहजन के फली की हरी सब्जी को खाने से बुढ़ापा दूर रहता है इससे आंखों की रोशनी भी अच्छी होती है। सहजन को सूप के रूप में भी पी सकते हैं, इससे शरीर का खून साफ होता है। सहजन का सूप पीना सबसे अधिक फायदेमंद होता है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी के अलावा यह बीटा कैरोटीन, प्रोटीन और कई प्रकार के लवणों से भरपूर होता है, यह मैगनीज, मैग्नीशियम, पोटैशियम और फाइबर से भरपूर होते हैं। यह सभी तत्व शरीर के पूर्ण विकास के लिए बहुत जरूरी हैं।

कैसे बनाएं सहजन का सूप ?

सहजन की फली को कई छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। दो कप पानी लेकर इसे धीमी आंच पर उबलने के लिए रख देते हैं, जब पानी उबलने लगे तो इसमें कटे हुए सहजन की फली के टुकड़े डाल देते हैं, इसमें सहजन की पत्तियां भी मिलाई जा सकती हैं, जब पानी आधा बचे तो सहजन की फलियों के बीच का गूदा निकालकर ऊपरी हिस्सा अलग कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च मिलाकर पीना चाहिए।

1. सहजन के सूप के नियमित सेवन से सेक्सुअल हेल्थ बेहतर होती है. सहजन महिला और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से फायदेमंद है।

2. सहजन में एंटी-बैक्टीरियल गुण पाया जाता है जो कई तरह के संक्रमण से सुरक्षित रखने में मददगार है. इसके अलावा इसमें मौजूद विटामिन सी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है।

3. सहजन का सूप पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाने का काम करता है, इसमें मौजूद फाइबर्स कब्ज की समस्या नहीं होने देते हैं।

4. अस्थमा की शिकायत होने पर भी सहजन का सूप पीना फायदेमंद होता है. सर्दी-खांसी और बलगम से छुटकारा पाने के लिए इसका इस्तेमाल घरेलू औषधि के रूप में किया जाता है।

5. सहजन का सूप खून की सफाई करने में भी मददगार है, खून साफ होने की वजह से चेहरे पर भी निखार आता है।

6. डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए भी सहजन के सेवन की सलाह दी जाती है।

सफलता की कहानी

परिश्रम एवं दृढ निश्चय के प्रतीक श्री अमृतलाल पटेल

दक्षिणी राजस्थान में बाँसवाड़ा जिले के आदिवासी बाहुल्य आनंदपुरी ब्लॉक के गांव मुन्द्री के रहने वाले श्री अमृतलाल पटेल परिश्रम एवं दृढ निश्चय के प्रतीक बने हुए है ।

अमृतलाल पटेल के परिवार मे 8 सदस्य हैं और परिवार के आजीविका हेतु वर्षा आधारित मात्र 5 बीघा कृषि भूमि हैं उसमे मक्का, तुअर का उपज अमृतलाल करते है ।

अपने विगत दिनों के बारे में बताते हुए अमृतलाल कहते है कि मुझे मेरे गरीब परिस्थितियों के कारण रोजगार हेतु मात्र 14 वर्ष की आयु में गुजरात जाना पडा और 20 वर्ष की आयु में मेट बन गया और 14 से 25 वर्ष की आयु के किशोर युवको को कृषि कार्य हेतु अहमदाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाने लगा । उससे उन्हें अच्छी आमदनी हो जाती थी । परंतु मन दुखी हो जाता था ,कि गांव के बच्चे स्कुल में पाठशाला में नहीं जा पा रहे हैं ।

इस दरम्यान अमृतलाल पटेल वाडी कार्यक्रम के माध्यम से वागधारा संस्था से संपर्क में आए और सामुदायिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने लगे और फिर वागधरा से समय समय पर तकनीक ज्ञान प्रशिक्षण जैसे कि वाडी की स्थापना, वाडी में पौधरोपण, फलदार पौधो में दूरी, वाडी की रूपरेखा बनाना, वर्गाकार वाडी व्यावस्था ,गड्ढे भरना, सिचांई के तरीके व पानी की बचत, वाडी में जैविक तरीको को कैसे अपनाना और नवाचार में सहभागी शामिल होते। उन्होने 800 परिवार के खेतो में आंवला, जामुन, बेर, पपीता, सीताफल, नींबू, अमरूद, फलदार पौधो की वाड़ी लगवाई । 32,000 फलदार और 80,000 अन्य वानिकी पौधे कृषको के खेतो पर लगवाए और आज इन वाडियों से किसानों को 20,000/-रु से 25,000/- रूपये प्रति वर्ष आमदनी हो रही हैं और अपने कार्य से जनजातीय परिवारो मे उन्नत वाडी विकास को गती प्रदान की एवं इन परिवारों की सतत आजीविका हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ।

श्री अमृतलालजी ने नरेगा से 500 परिवारों के यहाँ व्यक्तिगत हित के कार्य करवाए वागधारा के साथ कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर मुर्गी पालन व बकरी पालन व्यावसायो में 100 लोगों को प्रशिक्षण दिलवाया । 350 लोगों को टपक सिंचाई पध्दति से जोडा । लोगो के मध्य नवीनतम कृषि तकनीक को प्रसारित करने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा । इन्होने अपने खेत पर भी बगीचा लगाया । बगीचे में इन्होने जैविक खेती, फलदार पौधे, मिश्रित खेती एवं कृषि वानिकी पर अभिनव प्रयोग किया ।

अब आस पास के लोग जो गुजरात मजदूरी हेतु जाते हैं, उनको अपना बगीचा दिखाकर गाँव मे ही रुककर खेती सुधारने हेतु प्रेरीत करते हैं और बालक - बालिकाओ की शिक्षा पर जोर देकर बाल मजदूरी रोकने हेतु भी उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं । श्री अमृतलाल पटेल के अभिनव प्रयास सभी ग्रामवासियो एवं स्वयं सेवको के लिये अनुकरणीय है ।

अधिक जानकारी के लिये सम्पर्क करें-
वागड रेडियों 90.8 FM, मुकाम-पोस्ट कुपड़ा, वागधारा केम्पस, बाँसवाड़ा (राज.) 327001
फोन नम्बर है - 9460051234 ई-मेल आईडी -radio@vaagdhara.org

यह "वातें वागधारा नी" केवल आंतरिक प्रसारण है ।

। मार्गदर्शक : दीपक शर्मा, गगन सेठी, नरेन्द्र कुमार । मुख्य संकलक : परमेश पाटीदार । सहसंकलक : जागृती भट्ट ।